[17/3/2023]

प्रश्न सं. [क्र. 2860]

परिशिष्ट -1-

भाराराप्रा/क्षेका./जबलपुर/ PQ/ दिनांक 25.02.2023

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
क्षेत्रीय कार्यालय - जबलपुर (म0प्र0)

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2860 उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक 02.03.2023

विषयः एनएच 934 में मुआवजा वितरण में अनियमितता।

संदर्भः PWD भोपाल का EMAIL दिनांक 20.02.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2860 द्वारा, पूछे गये प्रश्न के संबंध में, जो जानकारी चाही गई है, वह निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क	नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केरबना, करीपुर से सागर-औंहारी एन.एच. 934 का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ईकाई सागर दवारा निर्मित किया जा रहा है ? यदि हां तो सम्पूर्ण जानकारी देवें।	हाँ, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 934 (सागर से मौहारी पेकैज-1) के कि.मी 8.000 ग्राम रुसल्ला से कि.मी 50.300 ग्राम मोहारी तक के चारलेन चौडीकरण का कार्य भाराराप्रा, परियोजना क्रियान्वयन इकाई-सागर के अधीन किया जा रहा है। परियोजना की जानकारी निम्नानुसार है: एलओए की दिनांक: 22.07.2021 अनुबंध का दिनांक: 22.02.2022 नियुक्ति दिनांक: 06.04.2022 ठेकेदार का नाम: मेसर्स बंसल कंसट्रक्शन वर्क्स प्रायवेट लिमिटेड सलाहकार: मेसर्स हाइवे इंजिनियरिंग कंसलटेंट कार्य की अंतिम तिथि: 05.04.2024
(ख	क्या सड़क निर्माण के पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ईकाई सागर दवारा मार्ग में आने वाले मकान, व्यवसायिक दुकानें, प्लाट, कृषि भूमि के अधिग्रहण/अधिपत्थ हेतु मुआवजा राशि वितरण के संबंध में दर सहित प्रकाशन/अवार्ड पारित किया था ? यदि हां तो विस्तृत जानकारी देवें।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु भू अधिग्रहण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (a) द्वारा अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन नियुक्त किया जाता है। अतएव सागर-मोहारी परियोजना हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सागर के माध्यम से केरबना एवं करीपुर में भूमि एवं उस पर अवस्थित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु अवार्ड दिनाँक 18.06.2021 एवं 07.07.2021 को पारित किया जा चुका है। विवरण निम्नानुसार है: 1. धारा 3 (a) का प्रकाशन दिनाँकः 27.02.2018 2. धारा 3 (A) का प्रकाशन दिनाँकः 16.03.2018 3. धारा 3 (D) का प्रकाशन दिनाँकः 01.06.2018 4. धारा 3 (G) अवार्ड पारित दिनाँकः 07.07.2021 (ग्राम-केरबना) 5. धारा 3 (G) अवार्ड पारित दिनाँकः 18.06.2021 (ग्राम-करीपुरा)
(ग	क्या मुआवजा हेतु दर सहित प्रकाशन/अवार्ड पारित किये जाने के उपरांत ग्रामीणों दवारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी ? यदि हां तो जानकारी देवें। क्या प्राधिकरण ईकाई सागर दवारा शासन के नियम निर्देशों के मापदंड का पालन करते हुये मुआवजा वितरण किया है ? जानकारी देवें।	राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु भू अधिग्रहण में अधिनियम 1956 की धारा 3 (C) के अंतर्गत आपत्तियाँ सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं जिनका निराकरण सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन द्वारा किया जा चुका है। प्राधिकरण द्वारा शासन के नियम निर्देशों के मापदंडो का पालन करते हये मुआवजा वितरण किया गया है।
(घ	यदि आपति प्रस्तुत की गई थी तो प्राधिकरण ईकाई सागर दवारा उक्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की ? तथा प्राधिकरंण ईकाई सागर शासन के मापदंड अनुसार मुआवजा वितरण कर पीड़ित परिवारों को न्यायसंगत एवं निति अनुसार मुआवजा राशि वितरण करेगा ?	आपत्तियाँ सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन के द्वारा आंमत्रित कर निराकरण किया जा कर नीति अनुसार निर्धारित मुआवजा का वितरण संबंधित भू-स्वामियों को किया गया है।

वास्ते क्षेत्रीय अधिकारी 25/02/2023

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
प.क्रि.इ. – सागर (म0प्र0)

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2860 उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक 02.03.2023

विषयः लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की स्थिति।

प्रश्न	उत्तर
(क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत केरबना, कर्रापुर से सागर-मोहारी एन.एच. 934 का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ईकाई सागर द्वारा निर्मित किया जा रहा है ? यदि हां तो सम्पूर्ण जानकारी देवें।	हाँ, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 934 (सागर से मौहारी पेकैज–1) के कि.मी 8.000 ग्राम रुसल्ला से कि.मी 50.300 ग्राम मोहारी तक के चारलेन चौडीकरण का कार्य भाराराप्रा, परियोजना क्रियान्वयन इकाई–सागर के अधीन किया जा रहा है। परियोजना की जानकारी निम्नानुसार है: Date of LOA: 22.07.2021 Date of Agreement: 22.02.2022 Appointed Date: 06.04.2022 Contactor : M/s Bansal Construction Works Pvt. Ltd. Authority Eng: M/s Highway Engineering Consultants Scheduled Completion: 05.04.2024
(ख) क्या सड़क निर्माण के पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ईकाई सागर द्वारा मार्ग में आने वाले मकान, व्यवसायिक दुकानें, प्लाट, कृषि भूमि के अधिग्रहण/अधिपत्य हेतु मुआवजा राशि वितरण के संबंध में दर सहित प्रकाशन/अवार्ड पारित किया था ? यदि हां तो विस्तृत जानकारी देवें।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु भू अधिग्रहण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (a) द्वारा अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी भू–अर्जन नियुक्त किया जाता है। अतएव सागर–मोहारी परियोजना हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सागर के माध्यम से केरबना एवं कर्रापुर में भूमि एवं उस पर अवस्थित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु अवार्ड दिनाँक 18.06.2021 एवं 07.07.2021 को पारित किया जा चुका है। विवरण निम्नानुसार है: 1. धारा 3 (a) का प्रकाशन दिनाँकः 27.02.2018 2. धारा 3 (A) का प्रकाशन दिनाँकः 16.03.2018 3. धारा 3 (D) का प्रकाशन दिनाँकः 01.06.2018 4. धारा 3 (G) अवार्ड पारित दिनाँकः 07.07.2021 (ग्राम–केरबना) 5. धारा 3 (G) अवार्ड पारित दिनाँकः 18.06.2021 (ग्राम–कर्रापुरा)
(ग) क्या मुआवजा हेतु दर सहित प्रकाशन/अवार्ड पारित किये जाने के उपरांत ग्रामीणों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी ? यदि हां तो जानकारी देवें। क्या प्राधिकरण ईकाई सागर द्वारा शासन के नियम निर्देशों के मापदंड का पालन करते हुये मुआवजा वितरण किया है ? जानकारी देवें।	राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु भू अधिग्रहण में अधिनियम 1956 की धारा 3 (C) के अंतर्गत आपत्तियाँ सक्षम प्राधिकारी भू–अर्जन के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं जिनका निराकरण सक्षम प्राधिकारी भू–अर्जन द्वारा किया जा चुका है। प्राधिकरण द्वारा शासन के नियम निर्देशों के मापदंडो का पालन करते हये मुआवजा वितरण किया गया है।

(घ) यदि आपत्ति प्रस्तुत की गई थी तो प्राधिकरण ईकाई सागर द्वारा उक्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की ? तथा प्राधिकरण ईकाई सागर शासन के मापदंड अनुसार मुआवजा वितरण कर पीड़ित परिवारों को न्यायसंगत एवं निति अनुसार मुआवजा राशि वितरण करेगा ?	आपत्तियाँ सक्षम प्राधिकारी भू–अर्जन के द्वारा आंमत्रित कर निराकरण किया जा कर नीति अनुसार निर्धारित मुआवजा का वितरण संबंधित भू–स्वामियों को किया गया है।

परियोजना निदेशक
भा.रा.रा.प्रा., पकाई – सागर (म0प्र0)